न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—274 / 2018 / 223 (2018 / 00274)

1. प्रकाश कंवर पत्नि हाकिमसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चक अभयपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा ।
2. सुमनकंवर पत्नि शिवराजसिंह, जाति बड़वा, निवासी ग्राम बाड बडवा, तह. रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलांटस

बनाम

1. कमल कंवर पुत्री लादूराम पत्नि जवानसिंह, जाति राजपूत, हाल निवासी ग्राम हरमाड़ा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. रेवतराम पुत्र लादूराम,
3. मोहनराम पुत्र लादूराम,
4. गणपतराम पुत्र लादूराम,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम चक अभयपुरा, तह0 रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा ।
5. संतोष कंवर पुत्री लादूराम पत्नि विनोदसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम, कायड़, तहसील व जिला अजमेर ।
6. रतन कंवर पुत्री लादूराम पत्नि दातारसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कायड़, तहसील व जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा ।
8. उप पंजीयक रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 28.6. 2018 .

उपस्थितः—

1. श्री अशोक बटवाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0पी0सिंह राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 अनुपस्थि .

निर्णय

दिनांकः— 16.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2018 के विरूद्ध भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो माननीय राजस्व मण्डल के मुन्तकिली प्रार्थना

पत्र/टी0एस0/5360/2018/दौसा में पारित आदेश दिनांक 2.8.2018 द्वारा न्यायालय हाजा को स्थानातंरण से प्राप्त हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 वादिया ने अधी0न्याया0 में वाद अधिघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इंद्राज का अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 24/42 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम चक अभयपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 म्रें प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है । वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता लादूराम की संताने है । वादग्रस्त भूमि पूर्व में लादूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जो वादीनी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता थे जो उनकी पैतृक कृषि भूमि थी । वाद में लादूराम का सजरा अंकित कर कथन किया कि लादूराम के वारिसान रेवतराम, मोहनराम, गणपतराम पुत्रान लादूराम, कमल कंवर, संतोष कंवर व रतन कंवर पुत्रिया लादूराम है । वादग्रस्त आराजी में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 मृतक लादूराम के वारिस होने के कारण वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का समान रूप से हक व हिस्सा है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 मृतक लादूराम की संपूर्ण खातेदारी का नामांतकरण अपने नाम से स्वीकृत करवाकर खातेदारी इंद्राजात अपने नाम करवा लिया जो प्रभावहीन व शून्य है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने नाम से अंकित अवैध व बोगस खातेदारी इंद्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 6 को व प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा तद्पोपरांत 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 7 को कर दिया जो अविधिक व प्रारंभ से शून्य होने के कारण वादीनी के के प्रति शून्य व प्रभावहीन है । वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का समान 1/6 हिस्सा है । चूंकि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में शामिल है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत पिता की सम्पति में भाई व बहिनों का समान हिस्सा है इस कारण वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 5/6 हिस्सा है । अतः वादी वादीनी स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारी इंद्राजात को लोपित किया जाकर वादीनी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इंद्राज दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 6 के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के हक में पंजीबद्ध करवाये गये विक्रय पत्र अवैध व अविधिक होने के कारण प्रभावहीन व शून्य घोषित किये जाकर प्रतिवादी संख्या 6 व7 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी में प्रवेश नहीं करे तथा तथा विवादित आराजी का किसी प्रकार का रहन, बेचान व हस्तातंरण नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.6.2018 को निर्णय पारित कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री कर आराजी खसरा संख्या 24/42 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्त घोषित किया तथा शेष भूमि वर्तमान जमाबदी अनुसार यथावत रखी जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा के न्यायालय में पेश की जो मान0राजस्व मण्डल द्वारा न्यायालय हाजा को स्थानातंरण से प्राप्त हुई है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक 6.4. 2018 को तारीख पेशी से गिरने के उपरांत अधी0न्याया0 द्वारा उक्त प्रकरण की आगामी तारीख पेशी बाबत् कोई सूचना किसी भी प्रकार से अपीलांटस को नहीं दी गई तथा अपीलांटस की पीठ पीछे पत्रावली अधी0न्याया0 के पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 की मिलीभगती से राहूवास पंचायत जो कि ग्राम चक अभयपुरा की पंचायत न होते हुए भी उसमें दिनांक 28.6.2018 को रेस्पो0 संख्या 1 से 5 से राजीनामा प्रस्तुत कराया जाकर उक्त राजीनामे की विधिवत् जांच किये बिना ही उक्त राजीनामा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किये जाने एवं उक्त राजीनामे में वर्णित प्रश्नगत आराजी का राजस्व रिकार्ड में कोई अस्तित्व न होने के उपरांत भी राजीनामा अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस की पीठ पीछे तस्दीक कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या1 द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजी साक्ष्य यहां तक कि उक्त वादग्रस्त आराजी लादूराम की खातेदारी में कब व कौन से साल संवत् में रही तथा उसका निधन कब हुआ, किस विरासत के नामांतकरण के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के नाम का कब व कौन से साल संवत् में खातेदारी अंकन किया गया, बाबत् कोई भी तथ्य पत्रावली पर किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया था केवल मात्र अस्पष्ट एवं वैग राजीनामा के आधार पर उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई आराजी खसरा नंबर 24/42 अपीलांट संख्या 1 के परिवारजन की खातेदारी की भूमि के मध्य की भूमि है जिस पर अपीलांट संख्या 1 के परिवारजन का दीर्घकालीन अवधि से कब्जा काश्त रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 की जानकारी में चला आ रहा है जिसके फलस्वरूप ही रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 द्वारा उक्त आराजी अपीलांट संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की गई थी । उक्त आराजी पर अपीलांट द्वारा फसल गेंहूॅ व सरसों की काश्त की गई थी तथा अपीलांटस निरन्तर उक्त आराजी पर काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं है । ऐसी दशा में बिना कब्जा के वाद प्रस्तुत किया गया था जो संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 के पीठासीन अधिकारी से मिलीभगती कर आराजी खसरा संख्या 24/42 जिसका राजस्व रिकार्ड में कोई अस्तित्व नहीं है के संबंध में प्रस्तुत वाद जवाब दावा, राजीनामा निर्णय व डिक्री में गुपचुप में खसरा नंबर 24/42 के स्थान पर 42/24 का अंकन क्लेरीकल मिस्टेक बताकर राजस्व रिकार्ड में अपीलांटस का नाम हजफ कराने पर आमादा है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 8.6.20148 से पूर्व 28.6.2018 अंकित थी जिसे काटकर आदेशिका लिखी गई है जिसे प्रथमदृष्टया देखे जाने मात्र से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि उक्त दोनों आदेशिका एक ही दिवस दिनांक 28.6.2018 को पीठासीन अधिकारी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की मिलीभगत से प्रेरित होकर अंकित की गई है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2018 निरस्त किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 6 मृतक लादूराम के विधिक वारिसान है जिनका विवादित आराजियात में 1/6, 1/6 हिस्सा निहित था किन्तु रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने मृतक लादूराम की विरासत मिलीभगत करके अपने नाम दर्ज करवा ली जो प्रारंभ से शून्य एवं प्रभावहीन थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने विवादित आराजियात का बेचान अपीलांट संख्या 1 को तत्पश्चात् अपीलांट संख्या 1 ने क्रयशुदा भूमि के 1/2 हिस्से का बेचान अपीलांट संख्या 2 को किया गया है जो भी अवैध एवं प्रभावहीन था । विवादित भूमि पैतृक होने से रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 को संपूर्ण भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस विवादित आराजियात के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार है जिन्हें अधी0न्याया0 ने सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने राजस्व कैम्प हेमल्यावाला में राजीनामा नहीं होने के उपरांत भी पत्रावली को कैम्प राहूवास में रखकर राजीनामे के आधार निर्णित की है जिसे लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता है । जब वाद के समस्त पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हुआ जैसा रिकार्ड से जाहिर है तब राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित किया जाना नियम विरूद्ध है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन पर पाया कि दिनांक 9.3.2018 को आगामी पेशी दिनांक 6.4.2018 दी गई किन्तु पत्रावली दिनांक 6.4.2018 के बजाय दिनांक 8.6.2018 में राजस्व लोक अदालत कैम्प हेमल्यावाला में रखी गई जिसमें पक्षकारान में राजीनामा नहीं हो सका । इस आदेशिका में दिनांक 28.6.2018 की तारीख को काटा गया है इससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तथा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । जब अधी0न्याया0 में अपीलांटस ने (प्रतिवादी संख्या 6 व 7) ने प्रतिरोध में जवाबदावा पेश किया तो अधी0न्याया0 को प्रकरण में तनकियात कायम कर निर्णय किया जाना चाहिये था जिस ओर ध्यान नहीं दिया गया । कानून की स्थिति यह है कि जहां विपक्षी द्वारा जवाबदावा विरोध में पेश किया गया हो तो वहां इस बाबत् तनकियात कायम कर निर्णय किया जाना चाहिये । इस संबंध में आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधान आज्ञापक है जिनकी पालना अधी0न्याया0 द्वारा नहीं की गई है । प्रकरण में जवाबदावे के आधार पर विवादित आराजी के पैतृक अथवा स्वअर्जित होने, कब्जे बाबत्, हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में अद्यतन संशोधन 2005, वादकरण का प्रकटीकरण के बाबत् तनकियात बनाकर स्थिति स्पष्ट की जाती तो समुचित निर्णय किया जा सकता था । दावें में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में अपीलांटस को बेचान किया जाना स्वीकार किया है तथा उसी आराजी बाबत् राजीनामा भी कर रहे है जो विरोधाभाषी स्थिति को व्यक्त करता है इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है ।

7. अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वर्तमान जमाबंदी भी पेश नहीं की गई है तथा जिस नंबरान की डिक्री पारित की गई है वह नंबरान वर्तमान में प्रभाव में नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री पूर्णरूपेण प्रभावहीन है तथा ऐसी डिक्री की कानूनन इजराय भी नहीं हो सकती है । पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांटस विवादित भूमियों के जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर सद्भाविक क्रेता है जिन्हें अधी0न्याया0 ने साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री लादूराम के वारिसान के राजीनामे के आधार पर सरसरी तौर पर निर्णित किया है जबकि अपीलांटस अधी0न्याया0 में पक्षकार नियुक्त थे जिन्हें सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. फलस्वरूप अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित आब्जर्वेशनस् के क्रम में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर